

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

मंदसौर से नीमच-नयागांव मार्ग पर साँची
दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य
हेतु द्वितीय ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2024-27



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001
दूरभाष - 2527061,2527068,2527066



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)

दूरभाष — 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु द्वितीय ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा मंदसौर से नीमच-नयागांव मार्ग पर साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ को इंशुलेटेड वाहन से परिवहन हेतु प्रति किलोमीटर दर आधार पर परिवहन कार्य करने एवं खाली क्रेट वापस पहुंचाने के लिए तीन वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु निम्नानुसार ई-निविदा आमंत्रित की जाती है :-

मार्ग क्रमांक	वाहन का प्रकार	क्रेट क्षमता	मार्ग का नाम	अनुमानित दूरी
1	बेलेरों पिकअप या समकक्ष मॉडल - 2020 या उसके बाद का (इंशुलेटेड)	200 क्रेट	मंदसौर से नीमच-नयागांव मार्ग	262 कि.मी. आना-जाना प्रतिदिन

इच्छुक आवेदक वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 29/01/2025 अपरान्ह 01:00 बजे से 12/02/2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर निविदा प्रपत्र ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करने होंगे अमानत राशि रु. 10,000/- ऑनलाईन रूप से जमा करनी होगी। प्राप्त सभी निविदाएं दिनांक 13/02/2025 दोपहर 02:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की ही वित्तीय दरें खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेब साइट www.sanchidairy.com पर लॉग ऑन करें।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, जो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन हेतु
निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 29/01/2025 अपरान्ह 01:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	12/02/2025 अपरान्ह 03:00 बजे तक
3	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	13/02/2025 दोपहर 02:00 बजे
4	वित्तीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय	17/02/2025 तक किसी भी कार्य दिवस में।
5	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रुपये 10,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
6	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र) (केवल ऑनलाईन भरें।)
7	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
8	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएँ का प्रारूप एवं सामान्य शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'A' (केवल ऑनलाईन भरें।)
9	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04(केवल ऑनलाईन भरें।)

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- निविदा प्रपत्र क्रमांक 01 एवं 4 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी।
2. निविदा कार्य अवधि :-
निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2024–2027 (3 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।



**साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु
निविदा की आवश्यक शर्तें**

1. निविदाकार को निविदा प्रपत्र – 01 के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. निविदाकार के पास (मॉडल-2020 या उसके बाद का) स्वयं का अथवा अनुबंधित इन्सुलेटेड चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार बोलेरों पिकअप अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 200 क्रेट) होना आवश्यक है यदि निविदाकार मॉडल-2020 या उसके बाद का या नया वाहन क्रय अनुबंधित करना चाहता है तो तदाशय का शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2020 या उसके बाद पंजीकृत चार पहिया वाहन (वाहन का प्रकार बोलेरों पिकअप अथवा समकक्ष वाहन क्षमता 200 क्रेट) होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी, अन्यथा कार्यादेश निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकती हैं।
3. निविदाकार आवेदक निविदा के साथ रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाईन उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
5. निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
6. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
7. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें केवल ऑनलाईन ई-टेंडर में ही वर्णित करनी होगी।

8. निविदाकार/आवेदक दरों में प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। निविदा हेतु स्वीकृति पश्चात ठेका अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी, उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर पर अनुपातिक रूप से संघ के निर्धारित नियमानुसार किया जा सकेगा। जो मान्य करना होगा।
9. निविद प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें।
10. निविदा में चयनित होने पर परिवहनकर्ता का कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् परिवहनकर्ता को न्युनतम 6 माह कार्य करना अनिवार्य होगा। कार्य न करने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
11. परिवहनकर्ता को निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में बतौर प्रतिभूति राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) RTGS/NEFT या चेक के माध्यम से संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। साथ ही अमानत बतौर स्वयं के नाम पर राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाते की हस्ताक्षरित चेक बुक भी जमा करनी होगी जो किसी भी विवाद की स्थिति में संघ की लेनदारी में भुनाये जा सकेंगे।
12. निविदा स्वीकृति के उपरांत परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके दो वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी।
13. कार्य आदेश से पूर्व सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
14. निविदाकार को FSSAI अन्तर्गत परिवहन का पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी छायाप्रति निविदा में संलग्न करना होगी। नवीन कार्य प्रारंभ करने पर आवेदन कर रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।

15. आयकर विभाग से यदि स्थाई लेखा संख्या नम्बर है तो संघ को प्रस्तुत करना होगा। स्थायी लेखा संख्या नं. (पैन नं.) प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिनियम अनुसार टैक्स का कटौती किया जावेगा।
16. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी ठेकेदारों द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाना हो तो कार्यादेश से पूर्व औपचारिकताएं पूर्ण करते समय वर्तमान ठेके से संबंधित समस्त लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर बकाया धनराशि एवं क्रेट (अथवा क्रेट की धनराशि) दुग्ध संघ में जमा कराना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी।
17. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा।
18. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
19. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत निविदाकार को राशि रुपये 100 के स्टॉप पेपर पर शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
20. निविदाकार को निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र राशि रुपये 100 के स्टॉप पेपर पर संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।
21. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. दुग्ध संघ द्वारा निविदा में प्रस्तुत मार्ग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन (मार्ग में दुग्ध विक्रय केन्द्र/विक्रय स्थल बढ़ाने/घटाने) करने पर चयनित निविदाकार को स्वीकृत परिवहन दरों पर वाहन संचालित करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 22 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता



(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 02

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

सांची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांकको दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ईएमडी राशि रु. 10,000/- (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) ऑनलाईन माध्यम से जमा कर जमा स्लीप संलग्न किया जा रहा है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरण हेतु बोलेरों पिकअप या समकक्ष क्षमता 200 क्रेट स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन मॉडल - 2020 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने		उपलब्ध वाहन के पंजीयन अथवा वाहन खरीदने/अनुबंधित करने का मूल

	की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी)		शपथ पत्र संलग्न करें।
6	परिवहनकर्ता का FSSAI का पंजीयन आवश्यक है। (FSSAI उपलब्ध नहीं होने की दशा में FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करना होगी।		FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति या FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करें।
7	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि।		ऑनलाईन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
8	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
9	वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी। (छायाप्रति संलग्न करें)
10	निविदाकर दुग्ध संघ का कर्मचारी /संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
11	निविदाकार को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		मूल शपथ संलग्न करें।
12	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट:—

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर आर्नेस्ट मनी ऑनलाईन जमा स्लीप के साथ एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04, अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम—

पता—

दूरभाष नम्बर _____

मोबाईल नम्बर _____

शुद्धता का संकल्प

साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु भाव पत्र
केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करने हेतु

1. वाहन का विवरण :— बोलेरो पिकअप या समकक्ष (इंसुलेटेड) वाहन मॉडल
— 2020 के उसके बाद का क्षमता 200 क्रेट
2. प्रस्तावित दर —

मार्ग क्र.	मार्ग का नाम	परिवहन दर रुपये/प्रति किलोमीटर
1	दुग्ध संयंत्र मंदसौर से नीमच—नयागांव मार्ग	दर केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करें

नोट :—

- दरें तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन हेतु ही मान्य होगी।
- यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो परिवहनकर्ता को लॉटरी के माध्यम से चयनित किया जावेगा।

शुद्धता का संकल्प

दूध वितरण परिवहन हेतु अनुबंध पत्र

यह अनुबंध आज दिनांकको प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री..... पिता श्री निवासी..... जिन्हे आगे परिवहनकर्ता अथवा ठेकदार के नाम से संबोधित किया जावेगा, के मध्य निष्पादित किया गया है। इस अनुबंध के तहत निम्न शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व परिवहनकर्ता कार्य संपादित करेंगे –

ठेकेदार द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के दुग्ध संयंत्र **मंदसौर से नीमच-नयागांव** तक के समस्त वितरण केन्द्रों तक दुग्ध पैकेट एवं दुग्ध पदार्थ वितरण केन्द्रों से खाली क्रेट दुग्ध संघ तक अपने तापरोधी निजी/अनुबंधित वाहन क्रमांक से परिवहन करने हेतु आगे लिखे गए अनुबंध एवं शर्तों पर स्वीकृत परिवहन दर रुपये प्रति किलोमीटर (आना व जाना मिलाकर) स्वीकार किया है।

1. यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। यदि परिवहनकर्ता इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबत देना होगा। इस स्थिति में संस्था को होने वाली क्षतिपूर्ति की वसूली परिवहनकर्ता से प्राप्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।
2. परिवहनकर्ता को वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं बीम से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रत्येक वर्ष दुग्ध संघ में जमा करनी होगी।
3. यह कि ठेकेदार निर्धारित मार्गों एवं स्थानों पर तापरोधी (इंसुलेटेड) वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा। मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी, एवं इसमें आवश्यकता अनुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जो ठेकेदार पर बंधनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन दुग्ध संघ को होगा। यदि वाहन अधिकतम किलोमीटर दर्शाने से दस किलोमीटर प्रतिदिन ज्यादा चलती है तो उसकी दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
4. अनुबंध अवधि के दौरान न्यायोचित परिस्थिति में अनुबंध को जारी रखना संभव न होने की स्थिति में एक माह की पूर्व सूचना पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार उभय पक्ष को होगा। परन्तु दुग्ध संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही एवं निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक परिवहनकर्ता को यथावत कार्य करना होगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा कार्य करने

से मना किया जाता हैं तब दुग्ध संघ द्वारा अमानत राशि राजसात कर ब्लेक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जावेगी

5. यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने संबंधी समस्त व्यय व दूध की क्रेट्स तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग में विक्रय केन्द्रों पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रों से क्रेट/पैकेट एवं केन आदि वापस लेकर उज्जैन डेयरी संयंत्र में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिए पारिश्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा।
6. (अ)– ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी क्रेट डेरी से प्राप्त की गई है। उतनी ही क्रेट डेयरी संयंत्र में प्रतिदिन वापस कर रसीद प्राप्त करनी होगी। अन्यथा जितने क्रेट कम वापस किये जायेंगे, उतने क्रेटों की कीमत की राशि ठेकेदार के बिल में से काटी जावेगी।
(ब)– विभिन्न विक्रय केन्द्रों पर प्रतिदिन मांग अनुसार दुग्ध मात्रा ठेकेदार को चालान में दर्शाई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इसी प्रकार किसी कारणवश विक्रय कन्द्रों से वापिस होने वाले दूध एवं क्रेट एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लांट में वापस करनी होगी। यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो क्रेट एवं दूध की मात्रा के समतुल्य राशि ठेकेदार के परिवहन देयकों से कटौती की जावेगी।
7. यह कि इस अनुबंध के विरुद्ध परिवहनकर्ता द्वारा प्रथम पक्ष के पास रुपये 1,00,000/– प्रतिभूति जमा की गई, साथ ही अपने स्वयं के नाम से बैंक में संचालित हो रहे खाता क्रमांक के चेक क्रमांक से तक 25 पन्नों की चैक बुक हस्ताक्षरित/ रेखांकित प्रतिभूति बतौर जमा की गई है, जो प्रथम पक्ष के द्वारा परिवहनकर्ता से वसूली योग्य किसी भी राशि के प्राप्त करने हेतु उपयोग किये जा सकेंगे।
8. मार्ग पर आकस्मिक रूप से बढ़ने वाली मांग की पूर्ति के लिए अतिरिक्त इंसुलेटेड वाहन या अधिक क्षमता के इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। अतिरिक्त वाहन व्यवस्था का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जा सकेगा।
9. यह कि ठेकेदार वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा अधिकृत परिचालक वाहन चालक संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा। वितरण होने वाले दुग्ध परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह उचित क्षमता का दूसरे इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था करके समय पर कार्य संपन्न करें, अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई हानि हुई तो वह ठेकेदार से वसूली योग्य

होगी। ऐसी घटना निरंतर होने पर अनुबंध निरस्त करके ठेकेदार की जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

10. परिवहनकर्ता को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम का पंजीकृत/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध की गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परिलक्षित न हो। निर्धारित समय में इंसुलेटेड वाहन के माध्यम से वितरण नहीं किये जाने पर परिवहनकर्ता के परिवहन देयकों से 10 प्रतिशत राशि का कटोत्रा कर लिया जावेगा।
11. यह कि वाहन की खराबी अथवा ठेकेदार पक्ष की ओर से किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट फूट होने पर जो मुल्यांकित हानि होगी, उसका संपूर्ण दायित्व वाहन ठेकेदार का रहेगा।
12. यह कि ठेकेदार हर पखवाड़े (15 दिवस) में एक दिन कार्यालय में सम्पर्क कर एवं हिसाब मिलान कर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के संबंध में समाधान कर ले, अन्यथा नियमानुसार जो राशि देयक से काट ली गई है, जो ठेकेदार को मान्य करनी होगी।
13. यह कि ठेकेदार अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ही ले जावेंगे, जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता है तो अधिक पाये गये दूध/दुग्ध पदार्थ/ केन/क्रेट की मुल्यांकित राशि की 100 गुना राशि अर्थदण्ड स्वरूप संबंधित वाहन के ठेकेदार से की जा सकेगी।
14. यह कि ठेकेदार/ वाहन चालक, ठेकेदार के कर्मचारी वापसी में सभी केन क्रेट्स लायेंगे दुग्ध चालन की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा पीटी नहीं करेंगे, न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटावेंगे/बढ़ायेंगे। दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम ठेकेदार से वसूली की जावेगी।
15. यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को ठेकेदार या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे। ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की राशि से दुगुनी कीमत वसूल की जावेगी।
16. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा या स्तर में किसी प्रकार की गड़बड़ी करेगा, तो उसकी जवाबदारी ठेकेदार की होगी, तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी द्वारा लिए गये सेम्पल की संघ प्रयोगशाला का जांच में प्रथम दृष्टि में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरंत निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को होगा एवं प्रतिभूति राशि भी जप्त की जा सकेगी।

17. यह कि वाहन ठेकेदार द्वारा कर्मचारी यदि वितरित किये जाने वाले दूध की मात्रा रिटर्न करता है एवं वह मात्रा (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।
18. यह कि ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत करने पर इस कर्मचारी को कार्य से ठेकेदार के तुरन्त हटाना होगा। ठेकेदार कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर उनका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जा सकेगा।
19. यह कि ठेकेदार को डेयरी डॉक पर दूध पैकेट में क्रेट के माध्यम से दिया जावेगा, जिसे निर्धारित समय में परिवहनकर्ता को उठाना होगा। डेयरी डॉक पर परिवहनकर्ता छोट कर दूध का पैकेट लेगा एवं वितरकों को अच्छे पैकेट देगा दुग्ध वितरण के उपरांत विपणन विभाग की लिखित अनुमती उपरांत ही वितरण दुग्ध के पैकेट वापस लिये जा सकेंगे।
20. यह कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में ठेकेदार के अटेंडेन्ट दूध के क्रेट उठाकर निरीक्षण कार्य को संपन्न करावेंगे। सुरक्षा गार्ड एवं वितरण कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यहार नहीं किया जावेगा, व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देंगे। शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात ही दुग्ध वितरण वाहन को डेयरी से बाहर जाने दिया जावेगा।
21. यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेंडेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा। यदि दो से अधिक व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो ठेकेदार से रुपये 250/- प्रतिव्यक्ति की दर से शास्ति वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
22. विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय से 15 मिनट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी। किन्तु वाहन 15 मिनट से अधिक देरी से डेयरी डॉक विपणन पर पहुंचता है तो वाहन ठेकेदार से राशि रु. 500/- की शास्ती अधिरोपित की जावेगी।
23. यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात खाली क्रेट्स वापसी लेकर निर्धारित समय में डेयरी में आना अनिवार्य है। प्राप्त की गई क्रेट उसी संस्था में वापिस न आने पर कम प्राप्त क्रेट की राशि कटौती परिवहन देयक से तत्काल किया जायेगा। परिवहनकर्ता को देयक के साथ क्रेट्स का मासिक हिसाब देना होगा।
24. यदि ठेकेदार का वाहन खराब हो जाता है तो महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक/प्रबंधक/प्रभारी विपणन की लिखित अनुमती से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा।

25. यह कि ठेकेदार का इंसुलेटेड वाहन खराब होने पर जो अस्थाई इंसुलेटेड वाहन की व्यवस्था ठेकेदार करेगा, उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इस हेतु अग्रिम जानकारी भी कार्यालय को देनी होगी।
26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन डेरी उज्जैन अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना ठेकेदार दुग्ध पदार्थ या दुग्ध सेचेट/क्रेटों से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्ति या अन्य सामग्री को नहीं ले जा सकेगा।
27. वाहन ठेकेदार द्वारा परिवहन देयक प्रतिमाह की 01 से 15 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 20 तारीख तक तथा 16 से 30/31 तारीख तक के नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक के परिवहन देयक संबंधित मार्ग पर्यवेक्षक के सत्यापन टीप एवं कार्य संतोषप्रद होने की अनुशंसा तथा क्रेट/केन खाते की **Reconciled** बकाया स्थिति अंकित कराने पश्चात देयक संघ में जमा कराना होगा, जिसका भुगतान संघ द्वारा देयक प्रस्तुत होने के बाद 15 दिवस में RTGS/NEFT चैक द्वारा किया जा सकेगा।
28. वाहन चालक द्वारा अभद्र व्यवहार करने या आदेशों की अवहेलना करने पर प्रबंधक (संयत्र संचालन) या डॉक विभाग कर्मी द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को ठेकेदार को तुरंत बदलना होगा।
29. यह अनुबंध दिनांकसेतक 3 वर्षीय ठेका अवधि तक प्रभावशील रहेगा, इसके अन्तर्गत उल्लेखित निर्देशों की अवहेलना करने या संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त किया जा सकेगा, एवं ठेका समाप्त किये जाने पर ठेकेदार किसी भी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
30. वितरण के दौरान वाहन का आकस्मिक निरीक्षण किसी भी स्थान पर दुग्ध संघ, उज्जैन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा किया जा सकेगा। उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
31. ठेकेदार को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा, और न ही उप ठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरंत निरस्त करने का अधिकार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
32. संघ की बकाया कोई भी राशि ठेकेदार की प्रतिभूति राशि से वसूली की जा सकेगी।

33. डेरी की परिधि के अंदर आने जाने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा की गति से नहीं चलाया जावें, और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावें। यदि ऐसा किया गया तो रुपये 100/— प्रतिवाहन प्रतिबार जुर्माना किया जावेगा, जो कि परिवहनकर्ता के देयक से काटा जावेगा।
34. ठेकेदार द्वारा दिये गए भाव स्वीकृत होने पर उसी भाव से ठेका अवधि में वाहन चलाएगा। यदि ठेकेदार द्वारा वाहन चालाने के लिए असमर्थता की गई तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ठेकेदार की अनुबंध निरस्त करने तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
35. अनुबंध पत्र की किसी भी शर्तों एवं दुग्ध संघ द्वारा दिए गए निर्देशों, शर्तों एवं सूचनाओं की अवहेलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।
36. उपरोक्त शर्तों के अलावा संघ के हित को देखते हुए कोई भी न्यायोचित शर्त लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, को होगा।
37. वाहन ठेकेदार को क्रेट का लेखा जोखा स्वयं रखना होगा, कम क्रेट की वसूली हेतु आदेश पत्र ठेकेदार को दिया जावेगा, उस आदेश पत्र प्राप्ति के 06 दिवस के अंदर बकाया क्रेट संघ में जमा करना होंगे, अन्यथा निर्धारित दर के अनुसार बिना पूर्व सूचना के ठेकेदार के देयक से कम क्रेटों की राशि काट ली जावेगी। कटौती होने के पश्चात काटी गई राशि वापस नहीं होगी।
38. ठेकेदार को वाहनों पर स्वयं के व्यय से साँची ब्राण्ड का विज्ञापन करना होगा साथ ही दुग्ध संघ के नियमानुसार प्रत्येक वाहनों में दुग्ध संघ द्वारा अधिकृत जीपीएस सिस्टम डिवाइस स्वयं के व्यय से लगाना अनिवार्य हैं जीपीएस सिस्टम दुग्ध संघ द्वारा लगवाया जावेगा जिसका वार्षिक संधारण व्यय एवं अन्य चार्जस का भुगतान ठेकेदार के परिवहन देयकों से कटौती कर किया जावेगा।
39. ठेकेदार खाली क्रेटों का लेखा जोखा प्रत्येक माह के अगले माह की 5 तारीख को स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर शीघ्र निराकरण कर लेवे निराकरण पूर्ण न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, इसके लिए स्वयं ठेकेदार उत्तदायी होगा।
40. यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा, दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके दो वर्ष तक आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
41. यदि वाहन ठेकेदार शर्तों के परिचालन में असमर्थ है या ठेका अनुबंध समाप्त करना चाहता है तो उसको एक माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवं शेष देयकों की राशि राजसात की जा सकेगी।

42. वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंध की सभी अथवा किसी भी निबंधन एवं शर्तों के भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने एवं कोई अन्य व्यवस्था करने के लिए उज्जैन दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा, इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की दशा में ठेकेदार द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी, एवं इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण उज्जैन दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान ठेकेदार को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा मांग करने पर तुरंत करना होगा, क्षतियों एवं हानियों का निर्धारण जो कि ठेकेदार से वसूल की जाना है के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
43. ठेके के बीच अवधि में यदि डीजल ऑयल की दरों में औसत वृद्धि/ कमी होती है तो अनुपातिक वृद्धि/कमी संघ के नियमानुसार वाहन की स्वीकृति दरों में की जा सकेगी।
44. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी। तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार की होगी।
45. यदि कार्य संपादन करने में वाहन ठेकेदार संघ के मापदण्डों पर उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रहेगा तथा कार्य समापन करने की अक्षमता के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार एवं जवाबदार होंगे, तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।
46. दुग्ध की मांग के अतिरिक्त दुग्ध उत्पाद की मांग होने पर एवं वाहन में पर्याप्त स्थान होने पर दुग्ध उत्पाद का परिवहन भी करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए पृथक से परिवहन व्यय नहीं दिया जावेगा। वाहन में लोड दुग्ध पदार्थ के व्यवस्थित रख रखाव एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसमें लापरवाही होने पर यदि पदार्थ को कोई हानि होती है तो ठेकेदार से वसूली की जा सकेगी।
47. परिवहनकर्ता को वितरक कार्य में संलग्न वाहन का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एन.ओ. सी. प्रमाण पत्र एवं एफ.एस.एस.ए.आई. (फूड सेफ्टी लायसेंस) प्रतिवर्ष नवीनकृत कराकर प्रस्तुत करना होगा।
48. आपातकालीन स्थिति यथा नदी-नाले चढ़ने पर या अन्य किसी अप्रत्याशित घटना से मार्ग अवरुद्ध होने की दशा में दुग्ध वितरण संभव नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाने से लिखित सूचना/प्रबंधक शीतकेन्द्र से लिखित सूचना कार्यालय में 48 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा दुग्ध वापसी की दशा में नियमानुसार कटोत्रा मासिक देयक से किया जावेगा।

49. उपरोक्त अनुबंध के शर्तों के अलावा इस निविदा की प्रक्रिया, समस्त शर्त एवं समय-समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश पत्र/परिपत्र के माध्यम से दिए जाएंगे, वे सभी इस अनुबंध के भाग माना जाएंगे एवं उसके पालन हेतु परिवहनकर्ता बंधनकारी होगा।
50. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निराकरण हेतु Arbitrator प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ भोपाल के समक्ष रखा जावेगा। उनका या उनके द्वारा नियुक्त किये सक्षम अधिकारी का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा।
51. इस अनुबंध का न्यायिक कार्य क्षेत्र, उज्जैन शहर का न्यायालय होगा।
52. टंकण त्रुटि या किसी अन्य कारण से अनुबंध की कण्डिका की स्पष्टता से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तब अनुबंध की कण्डिका को स्पष्ट करने, बदलने एवं हटाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होगा, जो कि द्वितीय पक्ष को बन्धनकारी होगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार –

नाम.....

नाम.....पिता का नामआयु.....निवासी.....
ऊपर उल्लेखित हस्ताक्षरित की गई निविदा क्षेत्र मेरे द्वारा भलीभांति
 पढ़कर/समझकर एवं स्वीकार कर उज्जैन दुग्ध संघ के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
 मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन –
 456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
 परिवहनकर्ता
 नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1

नाम :

पता:

मार्ग का विवरण

1— मंदसौर से नीमच—नयागांव—परिवहन मार्ग :-

दुग्ध संयंत्र मंदसौर से

- मल्हारगढ़
- मनासा
- नीमच शहर वितरण
- सीआरपीएफ केम्पस
- जिला जेल कनावटी
- उपजेल जावद
- नयागांव
- विक्रमनगर खोर

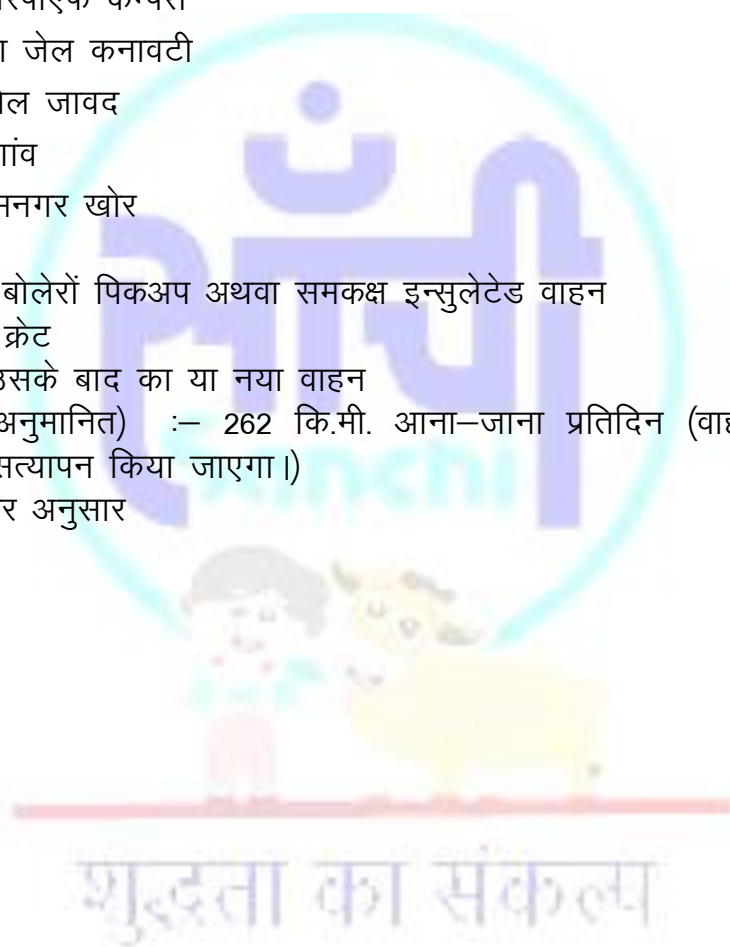
वाहन का प्रकार : बोलेरों पिकअप अथवा समकक्ष इन्सुलेटेड वाहन

क्रेट क्षमता :- 200 क्रेट

मॉडल : 2020 या उसके बाद का या नया वाहन

आना जाना दूरी (अनुमानित) :- 262 कि.मी. आना—जाना प्रतिदिन (वाहन संचालन के पूर्व वस्ताविक दूरी का सत्यापन किया जाएगा।)

दर : प्रति किलोमीटर अनुसार



दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा **मंदसौर से नीमच-नयागांव** मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथ ग्रहिता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध संयंत्र **मंदसौर से नीमच-नयागांव** मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु ई-निविदा प्रस्तुत की गई है, यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार बोलेरों पिकअप अथवा समकक्ष (क्षमता 200 क्रेट) मॉडल 2020 या उसके बाद का या नया/अनुबंधित इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा ई-निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध संयंत्र **मंदसौर से नीमच-नयागांव** मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उक्त मार्ग के लिए निविदा प्रस्तुत की गई है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा निविदाकार को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराकर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा दुग्ध संयंत्र **मंदसौर से नीमच-नयागांव** मार्ग पर दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन हस्ताक्षर शपथग्रहिता